[16/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 644]

परिशिष्ट
(14)

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

// आदेश //

भोपाल, दिनांकः 15/03/2018

क्रमांकःएफ.1–149/2011/38–1:: विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04/02/2014 द्वारा डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुये डॉ0 सिंह को शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा में पदस्थ किया गया था। डॉ0 सिंह ने नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने तथा शासन आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण विभाग के आदेश दिनांक 27/12/2014 द्वारा डॉ0 सुनील कुमार सिंह को निलंबत किया जाकर इनका मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा नियत किया गया। दिनांक 14/05/2014 को अपने नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के कारण विभाग के आदेश दिनांक 17/07/2015 द्वारा डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र को निलंबन से बहाल किया गया ।

2/ विभाग के पत्र दिनांक 21/11/2016 द्वारा डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा को आरोप–पत्र इत्यादि जारी किये गये, जिसका दिनांक 28/11/2016 को आरोप–पत्र का प्रतिउत्तर विभाग को प्रस्तुत किया गया।

3/ डॉ0 सुनील कुमार सिंह से प्राप्त आरोप–पत्र का प्रतिउत्तर समाधानकारण नहीं पाये जाने के कारण विभागीय जॉच का निर्णय लिया गया।

4/ विभाग के आदेश दिनांक 19/07/2017 द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग सागर को जॉचकर्ता अधिकारी तथा प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग सागर के पत्र क्रमांक–870/अति.सं./उ.शि./2017, सागर, दिनांक 05/09/2017 द्वारा प्रस्तुत विभागीय जॉच प्रतिवेदन में डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा के विरूद्व कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं।

6/ डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा के विरूद्व विभाग स्तर प्रचलित विभागीय जॉच प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा समाप्त की जाकर उनके निलंबन अवधि दिनांक 27/12/2014 से 17/07/2015 तक को कर्तव्य अवधि मान्य करते हुये मूलभूत नियम 54–बी के तहत भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15-3-18

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग

निरन्तर.....................

(15)

पृ0 क्रमांकः एफ.1—149/2011/38—1

प्रतिलिपिः— भोपाल, दिनांकः 15/03/2018

1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल म0प्र0

2/ स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल म0प्र0

3/ महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर

4/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल म0प्र0

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल—नर्मदापुरम संभाग भोपाल म0प्र0

6/ जिला कोषालय अधिकारी, विदिशा म0प्र0

7/ प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0

8/ डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई जिला विदिशा (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ) भोपाल) म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

9/ गार्ड फाईल

15-3-18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग